फर्द अहकाम
(नियम–26)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन चंदेल निवासी अंबिका चौक, जल चक्की कांकरोली, जिला–राजसमन्द

बनाम

उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्टर्ड संस्थाऐ सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 34 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.04.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन चंदेल निवासी अंबिका चौक, जलचक्की, कांकरोली, जिला राजसमन्द ने सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 26.02.2018 को रजिस्टर्ड ड़ाक से आवेदन उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्टर्ड संस्थाऐं, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ के यहां प्रेषित किया। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थी को उक्त आवेदन से चाही गई सूचना समय पर उपलब्ध नही कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नही आते है। चूंकि उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉं, उदयपुर, खण्ड उदयपुर के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	